



आवंटनादेश

संख्या-6/एफ1-301/2016 प्र0सं0

86

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक,

गोपाल मीणा,
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

श्रमायुक्त के सचिव, पटना।

पटना, दिनांक -

20-10-16

विषय :- मुख्य शीर्ष 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-उप मुख्य शीर्ष-02-समाज कल्याण-लघु शीर्ष-200- अन्य कार्यक्रम-मांग संख्या-26-उप शीर्ष-0102-असंगठित मजदूरों एवं शिल्पकारों की सामाजिक सुरक्षा (विपत्र कोड पी-2235022000102)के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में निधि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में विभागीय स्वीकृतिदेश संख्या 4353 दिनांक 07.10.2016 के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में 31 मार्च, 2017 तक व्यय के निमित्त सहायक अनुदान-वेतन इकाई (31 04) में रू0 40,00,000/- (रू० चालीस लाख) मात्र बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति को बैंक ड्रॉफ्ट के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु निधि का आवंटन किया जाता है।

2. इस राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 8244 दिनांक 02.08.2010 की कंडिका-2(ख) के आलोक में बी०टी०सी० फॉर्म 42 में कर के बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति को बैंक ड्रॉफ्ट के माध्यम से उपलब्ध करायेगे।

3. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 8244 दिनांक 02.08.2010 की कंडिका-2(ख) का उद्धरण-(ख) केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत राज्यांश की राशि विभाग द्वारा राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन समिति, एजेसी, कंपनी इत्यादि को दी जाती है। ऐसे संस्थानों को ए०सी० बिल के आधार पर राज्यांश की निकासी न कर सामान्य विपत्र पर ही राशि निकासी करने का दिशा-निर्देश वित्त विभाग द्वारा पूर्व में ही दिया जा चुका है। इसके बावजूद भी कई मामलों में राज्यांश की निकासी ए०सी० बिल पर हो रही है जो नहीं होनी चाहिए। राज्यांश की राशि, जो अंशदान है, की निकासी टी०सी० विपत्र सं०-42 में की जानी चाहिए। इस विपत्र में स्पष्ट जानकारी रहनी चाहिए कि यह अंशदान किस केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अधीन दी जा रही है और इसमें केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार का कितना-कितना हिस्सा है। जिस संस्थान को इस अंशदान की राशि स्थानांतरित की जा रही है। उक्त संस्थान द्वारा संगत राशि की पूर्व प्राप्ति (Pre-received Voucher) संलग्न करनी चाहिए। इन मामलों में उपयोगिता प्रमाण-पत्र की आवश्यकता होगी, जिसे इन संस्थानों द्वारा संबंधित विभाग को उपलब्ध कराना होगा, जिसकी प्रति वे महालेखाकार, बिहार के कार्यालय को उपलब्ध करायेगे। साथ ही बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 341 के अनुरूप अंकेक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता रहेगी।

4. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-423/वि० दिनांक-31.03.16, पत्रांक-4572/वि० दिनांक-03.06.2016 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि० (2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है।

5. इस राशि की निकासी नया सचिवालय, विकास भवन कोषागार, पटना से की जाएगी।

6. यह आवंटन योजना मद से संबंधित है।

विश्वासभाजन,

(20/10/16)
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक:-6/एफ1-301/2016 श्र0 सं0 86 पटना, दिनांक - 20.10.16
प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/10/16
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक:-6/एफ1-301/2016 श्र0 सं0 86 पटना, दिनांक - 20.10.16
प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/ जिला पदाधिकारी पटना/कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन कोषागार, नया सचिवालय, पटना/कार्यकारी निदेशक, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना/आई.टी. मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना /प्रशाखा 2 (सरकार पक्ष)/लेखा शाखा (श्रम पक्ष)/ प्रशाखा-6, बजट शाखा, श्रम पक्ष को दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ एवं व्यय विवरणी शाखा प्रशाखा-6, श्रम पक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20/10/16
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।